न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 91/2018 अपील तकास्मा

1. रामनिवास } पुत्रान मिठू जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय
2. छुट्टन } जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमरकला पत्नि गोपाललाल जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
3. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व तकास्मा आदेश तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा आदेश दिनांक 30.06.2010

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 24.12.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी में से अपीलान्ट के नाम 10 बीघा भूमि एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त अनुसार ही अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 1 अपनी उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 एवं उसके पुत्र ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलकर भूमि का तकास्मा करवाने हेतु कार्यवाही की। रेस्पोडेन्ट्स ने पटवारी हल्का द्वारा बंटवारानामा बनाकर बंटवारा करवाने की बात कहकर के अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर खाली फार्मो पर अपने विश्वास में लेकर करवा लिये। दिनांक 12.10.2018 को अपीलान्ट्स को जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम अपीलान्ट्स वाली भूमि लग रही है तथा वह उक्त विवादित आराजी को बेचने वे निर्माण करने पर आमादा है। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 15.10.2018 को नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की। अपीलान्ट्स को उक्त तकास्मा आदेश की पूर्व में कभी भी कोई जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 12.10.2018 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलान्ट के कब्जे में दखल उत्पन्न किया व चेतावनी दी कि अपीलान्ट्स के हक हिस्से वाली भूमि रेस्पोडेन्ट सं0

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

1 के नाम तकास्मा में अंकित करवा ली है तथा वह जल्द ही उक्त भूमि दीगर व्यक्ति को बय हस्तान्तरण कर व निर्माण कार्य कर अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करेगी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 15.10.2018 को नकल प्राप्त कर तहसीलदार सिकराय के उक्त तकास्मा आदेश दिनांक 30.06.2016 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत करनी पड रही है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं0 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से अपीलान्ट के नाम 10 बीघा भूमि एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त अनुसार ही अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 1 अपनी उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलकर भूमि का तकास्मा करवाने हेतु बंटवारानामा बनाकर बंटवारा करवाने की बात कहकर अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर खाली फार्मो पर अपने विश्वास में लेकर करवा लिये। अपीलान्ट्स ग्रामीण परिवेश के भोले भाले लोग है जो पढे लिखे नही है तथा केवल मात्र हस्ताक्षर करना ही जानते है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 व उसका पुत्र बहुत ही चतुर व चालाक किस्म के लोग है। जिन्होने अपीलान्ट को अपने सद्विश्वास में लेकर मौके पर हो रहे बंटवारे के अनुसार ही तकास्मा होना अपीलान्ट को बताकर चालाकी से पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अपीलान्ट के हक हिस्से व आधिपत्य की भूमि को अपने नाम लगवा लिया। राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारे के बाद नक्शा शीट तरमीम की गई उसके अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में बंटवारे के पश्चात् किये गये खसरा नम्बर 182/1 को चरागाह भूमि से लगते हुये दिखाई गई है, जबकि मौके पर चरागाह भूमि एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 की भूमि के मध्य 35 फीट भूमि अपीलान्ट्स की है जबकि बंटवारे में उक्त भूमि को चरागाह के लगते हुये दिखाई गई है। जो कि कानूनन निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन है उक्त अपील स्वीकार फरमाकर तहसीलदार सिकराय के तकास्मा आदेश दिनांक 30.06.2010 को खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस के दौरान निवेदन किया गया कि तहसीलदार सिकराय द्वारा तकास्मा आदेश दिनांक 30.06.2010 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय की अपील 8 वर्ष पश्चात की गई है। अपील विलम्ब से पेश किये जाने का कोई उचित कारण व्यक्त नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा तहसीलदार सिकराय से प्राप्त सहमति विभाजन की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपील में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम अपीलान्ट वाली भूमि लग रही है। जबकि अपीलान्ट्स द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होना व्यक्त किया गया है। इस प्रकार सहमति तकास्मा के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित तकास्मा आदेश दिनांक 30.06.2010 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौके की जांच कर एवं सरस–नरस भूमि के आधार पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official